नरेन्द्र कुमार सिंह, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता-सह-जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 03.06.2013 को सम्पन्न जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

* **उपस्थिति :-**
  1. श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
  2. श्री कपिलेश्वर विश्वास, अपर समाहर्त्ता, मुंगेर।
  3. श्री श्यामानन्द झा, नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर।
  4. श्री कुशेश्वर दास, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर।
  5. श्री हीरामुनि प्रभाकर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी-सह-नजारत उपसमाहर्त्ता, मुंगेर।
  6. डॉ0 रविन्द्र नाथ, सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी, मुंगेर।
  7. डॉ0 आजाद शहाबुद्दीन, व0उ0समा0, जिला आपूर्ति कार्यालय, मुंगेर।
  8. श्री आशीष नारायण, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, मुंगेर।
  9. श्री आलोक कुमार, व0उ0समा0 प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मुंगेर।
  10. श्री राजेन्द्र दास, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मुंगेर।
  11. श्री के0के0 यादव, जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर।
  12. श्री अहसान अहमद, व0उ0समा0 प्रभारी, जिला विकास।
  13. श्री रविशंकर उराँव, व0उ0समा0 प्रभारी, जिला विधि।
  14. श्री विरेन्द्र कुमार, व0उ0समा0 प्रभारी, नीलाम पत्र पदाधिकारी, मुंगेर।
  15. श्री रमेश कुमार, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
  16. श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर।
* **अवकाश अथवा किसी अन्य कारण से अनुपस्थित पदाधिकारी :-**
  17. मो0 मुर्शीद आलम, जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर।
  18. श्री मिथिलेश कुमार साहू, उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर।
  19. श्री भानू प्रकाश, प्रभारी व0उ0समा0, आपदा प्रबंधन, मुंगेर।
  20. श्रीमती मीरा सिन्हा, जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।

सर्वप्रथम निदेश दिया गया कि पूर्व में दिनांक 06.05.13 एवं 27.05.13 को सम्पन्न साप्ताहिक कोर समिति, जिसकी कार्यवाही इस कार्यालय के ज्ञापांक 694/गो0, दिनांक 08.05.13 एवं ज्ञापांक 825/गो0, दिनांक 27.05.2013 से सभी संबंधित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई जा चुकी है, में प्रदत्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्राथमिकता आधारित विभागीय कार्यो की साप्ताहिक कार्य योजना तैयार कर गुणात्मक प्रगति प्राप्त की जाए। तत्पश्चात् विभागवार महत्वपूर्ण योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को निम्न निदेश दिए गए :-

1. दिनांक 27.05.2013 को सम्पन्न बैठक में निर्णित निदेश, यथा- प्रखंड-सह-अंचल के नामित वरीय उपसमाहर्त्ता की अध्यक्षता में प्रत्येक सप्ताह के वृहस्पतिवार को प्रखंड-सह-अंचल स्तरीय बैठक का आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी की उपस्थिति में करेंगे जिसमें विशेषकर RTPS काउण्टर, कैशबुक का अद्यतन संधारण, मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, छात्रवृत्ति, साईकिल, पोशाक, मध्याह्न भोजन योजना, पोषाहार वितरण, AC, DC बिल, स्वास्थ्यपरक योजना, हल्का कर्मचारी के कार्यो इत्यादि महत्वपूर्ण योजनाओं की गहन समीक्षा करेंगे। इसी आलोक में आयुक्त, मुंगेर, प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 2388/वि0, दिनांक 31.05.2013 के अनुरूप प्रखंड-सह-अंचल के नामित वरीय उपसमाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि वे कम-से-कम एक दिन तत्काल साप्ताहिक बैठकों में निर्धारित तिथि वृहस्पतिवार को समीक्षा के लिए प्रखंड-सह-अंचल जाएंगे तथा समीक्षा कर एक प्रतिवेदन दूसरे दिन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएंगे।

2. सभी नामित वरीय उपसमाहर्त्ता वृहस्पतिवार को निर्धारित प्रखंड-सह-अंचल स्तरीय बैठकों में निम्नलिखित बिन्दुओं पर निश्चित रूप से गहन समीक्षा करते हुए कार्यवाही की प्रति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे :-

- लोक सेवा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत सेवावार वितरण पंजी के अद्यतन संधारण एवं प्रावधानानुसार कार्य संपादन की जाँच।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन अन्तर्गत प्रखंड/पंचायत स्तरीय कर्मियों द्वारा अग्रिम राशि प्राप्ति के पश्चात् विपत्र समर्पित न कर अपने पास ही रखे हुए हैं, जो गबन का मामला बनता है। समीक्षोपरान्त ऐसे मामले परिलक्षित होने पर निरीक्षण टिप्पणी में अंकित करते हुए दोषी पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रस्ताव देंगे।
- वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल 06(छह) प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों की घटकवार वास्तविक संख्या, मार्च, 2013 तक राशि प्राप्त करने वाले पेंशनधारियों की संख्या प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को देंगे।
- वैसे पेंशनधारी, जिन्हें पूर्व में डाकघर के माध्यम से पेंशन की राशि का भुगतान होता था, परन्तु वर्तमान में किन्हीं कारणों से इन्हें पेंशन भुगतान नहीं हो रहा है तो ऐसे लाभुकों को पोस्ट ऑफिस के खाता संख्या/PPO संख्या के आधार पर वितरण पंजी के माध्यम से अन्य औपचारिकातओं को पूर्ण कर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी उचित पहचान कर भुगतान करेंगे।
- बिहार शिक्षा परियोजना/सर्व शिक्षा अभियान के तहत् कार्यान्वित् योजनाओं के प्रगति की समीक्षा/जांच हेतु प्राथमिक/मध्य/उच्च विद्यालयों का भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण टिप्पणी से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।
- आई0सी0डी0एस0 निदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न विकासोन्मुखी योजनाओं, यथा-आंगनबाड़ी केन्द्र/भवन/केन्द्रों में कार्यान्वित योजनाओं/सेविका/सहायिका के कार्य/पोषाहार की स्थिति की गहन समीक्षा/स्थलीय निरीक्षण कर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करेंगे।
- विभिन्न स्रोतों से प्रायः ऐसी शिकायत प्राप्त होती रहती है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि स्वीकृत्योपरान्त अभी तक वितरित नहीं की गई है। समीक्षोपरान्त ऐसे मामले प्रकाश में आने पर तत्क्षण यथोचित कार्रवाई की जाए।
- विदित हो कि विभाग द्वारा सरकारी भूमि (शहरी) का सर्वेक्षण कर अतिक्रमण पाए जाने पर उक्त भूमि को अतिक्रमणमुक्त करते हुए घेराबन्दी कराने का निदेश प्राप्त हुआ है, जिसके लिए अधियाचना प्राप्त कर आवश्यकतानुसार राशि की मांग की जानी है। इस कार्य के लिए शहरी क्षेत्रान्तर्गत के अंचल अधिकारी, यथा-सदर, जमालपुर, तारापुर एवं खड़गपुर को निदेश दिया जाता है कि बिना अनुमति प्राप्त किए सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाते हुए भा0द0वि0 की धारा 107 का प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी को देंगे। साथ ही अतिक्रमणमुक्त सरकारी भूमि की घेराबन्दी हेतु अधियाचना अपर समाहर्त्ता, मुंगेर को उपलब्ध करायेंगे। इस कार्य का पर्यवेक्षण अपर समाहर्त्ता, मुंगेर विशेष तौर पर करेंगे।

- ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि खास महाल क्षेत्र में अनाधिकृत तौर पर नए मकान का निर्माण किया जा रहा है जिसपर तत्काल रोक लगाए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में खास महाल पदाधिकारी, मुंगेर एवं अंचल अधिकारी, सदर, मुंगेर नियमानुसार भा0द0वि0 की धारा 107 का प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी को देंगे। अनुमंडल पदाधिकारी इसका सतत् पर्यवेक्षण करते हुए अपेक्षित कार्रवाई करेंगे।
- दिनांक 01.06.2013 से मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन करते हुए प्रकाशन, दावा आपत्ति प्राप्त करने, निष्पादन करने एवं 01.08.13 से 15.08.13 तक प्रकाशित करने तथा भारत निर्वाचन आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने का कार्यक्रम प्राप्त है। सभी वरीय उपसमाहर्त्ता इस कार्य का प्रखंड/अंचल भ्रमण के दौरान नियमित समीक्षा करेंगे।
- बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण अन्तर्गत प्रपत्र–2 एवं 3 का सत्यापन संबंधित हल्का कर्मचारी/राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी के स्तर से करायें तथा साप्ताहिक बैठकों में कार्य के प्रगति की समीक्षा कर प्रतिवेदित करें।
- प्रखंड/पंचायत शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के प्रगति की भी समीक्षा कर अद्यतन प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। इसकी प्रगति अत्यन्त असंतोषजनक है।
- जमालपुर प्रखंड–सह–अंचल के नामित वरीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत सेवक श्री कुमार विलासचन्द्र द्वारा पूर्व में किसी योजना में लगभग 11,00,000/– (ग्यारह लाख) रू0 अग्रिम लिया गया था तथा मात्र 5,25,000/– (पांच लाख पच्चीस हजार) रू0 का समायोजन कराया गया था, परन्तु अनेकों बार स्मारित किए जाने के बावजूद अवशेष अग्रिम राशि 5,73,800/– (पांच लाख तिहत्तर हजार आठ सौ) रू0 वापस नहीं किया गया है। अतः साप्ताहिक समीक्षा के दौरान इसकी गहन जांच कर मन्तव्यभारित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे ताकि इनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को यह जानकारी देंगे कि BRGF एवं चतुर्थ वित्त आयोग मद से सोलर लाईट का अधिष्ठापन नहीं कराया जाना है।

3. सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर को विशेष तौर पर निदेश दिया गया कि घटकवार पेंशनधारियों की संख्या सहित सूची यथशीघ्र सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से प्राप्त करें ताकि वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्राप्त प्रथम तिमाही के आवंटन को उपावंटित किया जा सके।
4. लोक सेवा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सेवा प्रदान करने की सुगम व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक काउण्टर पर Web Camera संस्थापित करने का निदेश विभाग द्वारा प्राप्त हुआ है जिसके लिए स्थापना उपसमाहर्त्ता, मुंगेर को निदेश दिया गया कि इससे संबंधित विभागीय पत्र सभी अचंल अधिकारी को भेजते हुए इस वर्ष RTPS मद में उपलब्ध कराए गए आकस्मिकता मद की राशि से इसका क्रय सुनिश्चित कराएँ। सभी प्रभारी वरीय उपसमाहर्त्ता भी इसे सुनिश्चित कराएँ।

5. आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर को निदेश दिया गया कि सभी RTPS स्थलों का नियमित भ्रमण करते रहेंगे ताकि कार्य संस्कृति में अपेक्षित सुधार हो सके।
6. महादलित श्रेणी के वैसे लाभुक, जिन्हें जमीन दिया गया है, परन्तु इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिला है तथा इंदिरा आवास तो मिला है, परन्तु जमीन का कागजात नहीं बना है, ऐसे मामलों की समीक्षा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी करते हुए via-versa कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य का सतत् अनुश्रवण अपर समाहर्त्ता, मुंगेर एवं उप विकास आयुक्त, मुंगेर सुनिश्चित करते हुए पूर्व में दिए गए निदेशों एवं विभागीय पत्रों के अनुरूप एक समेकित सूची तैयार करेंगे ताकि इसे Booklet के रूप में प्रकाशित कराया जा सके।
7. दिनांक 08.06.2013 को निर्धारित इंदिरा आवास दिवस की सफलता हेतु सभी आवश्यक कार्रवाईयाँ यथासमय उप विकास आयुक्त, मुंगेर पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
8. बिहार सैनिक कल्याण बोर्ड, पटना की तरफ से निर्धारित दिनांक 21-22-23.06.2013 को क्रमशः सदर, मुंगेर, तारापुर एवं खड़गपुर अनुमंडलान्तर्गत झण्डा दिवस का अयोजन किया जाना है। इसके लिए सभी आवश्यक कार्रवाईयाँ यथासमय पूर्ण कराने की जिम्मेवारी प्रभारी वरीय उपसमाहर्त्ता, जिला सामान्य शाखा एवं नजारत उपसमाहर्त्ता, मुंगेर को दी जाती है। इसके लिए दिनांक 09.06.2013 को एक बैठक भी आयोजित की जाए।
9. भू-अभिलेख कम्प्यूटराईजेशन की धीमी प्रगति पर क्षोभ प्रकट करते हुए अपर समाहर्त्ता, मुंगेर एवं प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, मुंगेर को निदेश दिया गया कि कार्य में तीव्रता सुनिश्चित करते हुए यथाशीघ्र कार्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
10. ज्ञात हो कि मुंगेर जिला के नगर निगम, मुंगेर, नगर परिषद्, जमालपुर एवं नगर पंचायत, ह0 खड़गपुर में Manual Scavenger Survey का कार्य किया जाना है। इस हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी/अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि तय समय सीमा में कार्य को पूर्ण करायें।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(नरेन्द्र कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 908 /गो0, दिनांक 05/06/2013

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, मुंगेर/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर/सभी शाखा/कार्यालयों के वरीय पदाधिकारी/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर/जिला सूचना एवं जनसमपर्क पदाधिकारी, मुंगेर/जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर/ जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर/जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नरेन्द्र कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 908 /गो0, दिनांक 05/06/2013

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(नरेन्द्र कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।